भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1604
21 दिसम्बर, 2022 को उत्तरार्थ

सहकारी समितियों के लिए संवैधानिक प्रावधान

1604 # श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभाः

क्या ***सहकारिता*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए भारत के संविधान में दिए गए प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन समितियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केंद्र और राज्य दोनों सरकारें सहकारी समितियों से संबंधित विषयों पर नियम बना सकती हैं,

तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क): सतानवें (97वां) संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2011 ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और निम्नलिखित प्रावधान किए गए, अर्थात:

(i) संविधान के भाग-III में अनुच्छेद 19(1)(c) में **"**सहकारी समितियां**"** शब्द अंतर्विष्ट करके सहकारी समितियों के गठन करने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया ।

(ii) सहकारी समितियों के संवर्धन के लिए राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में संविधान के भाग-IV में अनुच्छेद 43B को अंतर्विष्ट किया गया ।

(iii) सहकारी समितियों के निगमन, विनियमन और परिसमापन हेतु भाग-IXB 'सहकारी समितियां' अंतर्विष्ट किया गया ।

(ख) और (ग): सहकारी समितियां जिनके उद्देश्य किसी एक राज्य में सीमित होते हैं, वे संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि -32 के अधीन आते हैं जिनके लिए कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है । तदनुसार, ऐसी समितियां संबंधित राज्यों के सहकारी अधिनियमों द्वारा शासित होती हैं । सहकारी समितियां जिनके उद्देश्य किसी एक राज्य में सीमित नहीं हैं, वे सूची-I (संघ सूची) की प्रविष्टि 44 में आती हैं जिनके लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को है और तदनुसार, संसद ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 का अधिनियमन किया है ।

******